

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ (झर)

ब इजलास पंकज गढ़वाल R.A.S.

वाड संख्या - 6/2014

निर्णय दिनांक 11.2.2021

श्रीमती बशीरा पत्नी गफूर खां जाति तेली निवासी वाड संख्या 25 कम्बा राजगढ़
तहसील राजगढ़ जिला झर

- वादीनी

बनाम

1. सुरजभान पुत्रगण हरचन्द जाति जाट निवासी गण भूदी खूवा तहसील
2. ओमप्रकाश राजगढ़ जिला झर
3. सयमा बेनाद पुत्र रसजमान खां जाति तेली निवासी वाड संख्या 29 भनकड स्कूल
के पास कम्बा राजगढ़ तहसील राजगढ़ जिला झर
4. राजस्थान सरकार जरिफ तहसीलदार राजगढ़ जिला झर

- प्रतिवादीगण

वाद बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत चारा 53 R.T. Act

निर्णय

इस न्यायालय के प्राथमिक निर्णय व डिक्ली की दालना में तहसील
राजगढ़ से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त। अवलोकन किया। विभाजन प्रस्ताव
प्राथमिक निर्णय व डिक्ली के अनुरूप ही तैयार कर निजवादा गण है जिसपर
कोई आपत्ति नहीं है। अतः वाद वादीनी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार
कर पञ्चकारण का निम्न प्रकार से खाता विभाजन किया जाता है।

1. श्रीमती बशीरा पत्नी गफूर खां कौम तेली साक्षिण राजगढ़ खातेदार
के एक हिस्सा में खण्ड 6 मी० रकबा 1.16 ईला. चतुर्भुज लगात
1.16 रु. वाने रोड़ी भूदी खूवा तहसील राजगढ़ जिला झर नक्शा

al
उपखण्ड अधिकारी

विभाजन प्रस्ताव में बरंग द्वारा से दशरि अनुकार रहेगी।

२. सुरजमान, ओमप्रकाश पि० हरचंद जातिजाट २/३ ब० हि० ब० सलमा
बेवाह पुत्र रामजानखान १/३ हि० जाति तेली सा० राजगढ़ खातेदार
के एक हिस्सा में ख० न० ६मी० रकबा ३.५४ ई० बा० चतुर्थ लगान ३.५४ रु०
रोहीगाम लूदी खुवा तहसील राजगढ़ जिला वृद्ध जनश विभाजन प्रस्ताव
में बरंग सपेद से दशरि अनुकार रहेगी।

देय मुद्रांक शुल्क भरा करने पर पर्चा ठिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ११.२.२०२१ के मैसे द्वारा लिखाया जा का सरे इजलास
सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (घरु)